संख्या– 206/VI-2/2010–21(1)2010

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

देहरादून दिनांक : 29 मार्च, 2010

विषय :– वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4383/बा0पत्रा0/2010–11 दिनांक–4–2–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि, खेल विभाग के वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में रू 39.50 लाख (रू0 उनतालीस लाख पचास हजार) मात्र की अवशेष धनराशि संलग्नक में दिये गये विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार संगत योजनाओं हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों/मानकों के अनुसार समस्त प्रकिया पूर्ण कर लेने के उपरान्त, किया जायेगा।

2. यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि धनराशि नियमानुसार आहरित कर व्यय की जा सकती है।

3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययतता को ध्यान में रखकर मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जायेगा तथा व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187/XXVII (1)/2010 दिनांक–30 मार्च 2010 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

4. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें जाय ।

5. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जाय। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

संगत योजनाओं में धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जाय।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के उपर्युक्त अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत संलग्न में इंगित योजनाओ/सुसंगत लेखाशीर्षकों के विवरणानुसार संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–499 (एन0पी0) /XXVII(3)/2009 दिनांक–29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनके आदेश से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 206 /VI-I/2010–21 (1)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड देहरादून।
4. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव

शासनादेश संख्या– 206/VI-2/2010–21(1)/2010/ दिनांक– 29 मार्च, 2011 का संलग्नक

अनुदान संख्या – 11 आयोजनेत्तर

लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेंवाएं–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–खेलकूद निदेशालय

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद का नाम व कोड	अवमुक्त की जारही ध.राशि
10–जलकर/जलप्रभार	100
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
योग	**200**

अनुदान संख्या–11

लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–104 खेलकूद– (आयोजनेत्तर)

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद का नाम व कोड	स्वीकृत की जा रही धनराशि
10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार। 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2000
11–राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था। 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता।	500
15– प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता।	250
21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता।	500
22–प्रदेशीय कीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता।	500
योग	**3750**

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव